FORB Learning Platform

स्क्रिप्ट: धर्म या विश्वास की आज़ादी की विषय सूचि - दबाव से सुरक्षा

धर्म या विश्वास की आज़ादी का एक अहम् पहलू है -- दबाव से सुरक्षा का अधिकार । दबाव तब होता है जब कोई आपसे कुछ काम करवाने के लिए बल या धमकी का उपयोग करता है।

धर्म या विश्वास की आज़ादी का एक मूल आयाम यह है कि हर किसी को अपने धर्म या विश्वास को मानने या बदलने का अधिकार है। इसे दूसरे ढंग से कहा जा सकता है कि धर्म या विश्वास और उनकी अभिव्यक्ति स्वैच्छिक है।

दबाव से सुरक्षा के अधिकार का विस्तार इन बातों पर निर्भर करता है। कोई भी नहीं, न तो राज्य, न धार्मिक नेता या अन्य कोई व्यक्ति या समूह, अपने विश्वासों या प्रथाओं को दूसरों पर थोपने का अधिकार रखता है। उनका धर्म या विश्वास रखने,मानने या बदलने को न ही उन्हे मजबूर करे।
नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध, अनुच्छेद 18 पैरा 2

"किसी के ऊपर ऐसा दबाव नहीं डाला जाएगा जिससे उसको अपनी इच्छानुसार किसी धर्म या विश्वास को मानने या अपनाने की आज़ादी से वंचित किया जाये।"
यह आयाम न केवल राज्यों को लोगो पर दबाव डालने से रोकता है, लेकिन वह राज्यों को यह कर्तव्य भी सौंपता है कि वह लोगों को ऐसी धमकियों व् हिंसा से सुरक्षा प्रदान करे, जो उन्हें समाज के दूसरे लोगों या समूहों से मिलती है.
फिर भी, दुनिया भर में दबाव के तमाम उदहारण हमें देखने को मिलते हैं जो धमकियों, हिंसा या दंड के रूप में होते हैं, जैसे की जुर्माना या कारावास. दबाव काफी जटिल भी हो सकते हैं, जैसे की

धर्म परिवर्तन के बदले में नौकरियों की पेशकश करना या अगर वे अपना धर्म छोड़ते हैं या कोई और धर्म या विश्वास अपनाने से इंकार करते हैं, तो उन्हे स्वास्थ्य और शिक्षा की सार्वजानिक सुविधा से वंचित करना.

कभी-कभी राज्य भी दबाव बनाने में हावी होता है, चाहें तो सरकारी तौर पर कानून बनाकर या स्थानीय स्तर पर उच्च अधिकारियो की कार्यवाही के ज़रिए।

बहाई समुदाय ईरान में सबसे बड़ा गैर-मुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है।

1 9 7 9 की क्रांति के बाद से, बहाई समुदाय को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर करने के प्रयास में सरकारी नीति के चलते उन्हें सुनियोजित तरीके से सताया गया। क्रांति के बाद के 10 वर्षों के दौरान, 200 से अधिक बहाई लोगों को मार डाला गया, सैकड़ों को यातना दी गई या फिर कैद कर दिया गया, और हजारों-हज़ार नौकरियां खो बैठे, शिक्षा और अन्य अधिकार से वंचित हो गए, वह भी महज़ अपने धार्मिक विशास के कारण।

दिसंबर 2017 तक, छह राष्ट्रीय स्तर के बहाई नेताओं सहित 97 बहाई अपने विवेक के कारण ईरान में कैद थे.

यह उदाहरण भेदभाव और दबाव के बीच के संबंध को दर्शाता है। ईरान में बहाई लोगों को विश्वविद्यालय में पढ़ने और सिविल सेवा में रोज़गार से प्रतिबंधित किया गया है। यह भेदभाव वाला कानून एक दबाव ही है। यह पता चलने पर कि कोई छात्र या कर्मचारी बहाई समुदाय का है, तो उसके पास इस्लाम धर्म अपनाने या पद गवाने के सिवा और कोई विकल्प नहीं होता ।

कभी-कभी हिंसक राष्ट्रवादी या चरमपंथी समूह, लोगों पर अपने धर्म या विश्वासों को बदलने के लिए दबाव डालते हैं। तथाकथित इस्लामी राज्य, दाएश ने यज़ीदी और ईसाइयों दोनों को धर्म बदलने के लिए मजबूर किया, और इनकार करने वालों की हत्या कर दी। जब कि भारत में, हिंदू धर्म में बलपूर्वक धर्म परिवर्तन को हिन्दू राष्ट्रवादियों की सांप्रदायिक हिंसा के सिलसिले में दस्तावेज़ किया

गया है। म्यांमार में, सेना द्वारा बंदूक की नोक पर ईसाईयों को अपने विश्वास से अपने आप को वंचित करने और मजबूरन बौद्ध धर्म अपनाने के कई मामले हैं, जो दस्तावेजों में दर्ज हैं। और मध्य अफ़्रीकी गणराज्य के कुछ हिस्सों में, मुसलमानों को भी गोली मारने की धमकी दी गई है, अगर वे ईसाई धर्म को नहीं अपनाते हैं।

यद्यपि दबाव पर प्रतिबंध औपचारिक रूप से लोगों के धर्म या विश्वास को मानने, अपनाने या बदलने की क्षमता पर लागू होता है, फिर भी कई लोगों ने धर्म पालन के संबंध में राज्य और सामाजिक दबाव का अनुभव किया है। एक मुद्दा जो इस दबाव को दर्शाता है, वह महिलाओं के पहरावे से सम्बंधित है। कुछ देशों में कानूनी तौर से महिलाओं को धार्मिक कपड़े पहनना ज़रूरी है, जबकि दूसरे देशो में महिलाओं को ऐसा करने पर पाबंदी है। अगर महिला अपने धर्मिक कपडे पहनती हैं तो उन्हें दूसरे समुदाय के लोग सताते है, और अगर धर्मिक कपडे नहीं पहनती हैं, तो उनके समुदाय के लोग उन्हें सताते हैं।

अनेक प्रकार के लोग दबाव से प्रभावित हो सकते हैं।

कई देशों में, जिनके धार्मिक विचार या परंपरा राज्य विचारधारा से या सामाजिक मापदंड से भिन्न होते हैं, वे दबाव से प्रभावित होते हैं। अल्पसंख्यक, नास्तिक, नए विश्वासी या जिस धर्म को स्थानीय धर्म में विदेशी माना जाता है उसको मानने वाले अक्सर प्रभावित होते हैं। और धार्मिक समूहों के भीतर, जिन लोगों को विद्रोही, ईश्वर निंदा करने वाले माना जाता है और वह लोग जिन के प्रति यह धारणा की जाती है कि वह अपने धर्म की आराधाना सही प्रकार से करने में असफल हैं, उन पर दबाव का असर हो सकता है ताकि वे अपने विश्वास और प्रथाओ को बदलने के लिए मजबूर हो जायं; ऐसा दबाव राज्य, उनके परिवार या समुदाय से आ सकता है।

संक्षेप में, दबाव में धमकियां, हिंसा, भेदभाव या जुर्माना या कारावास जैसे दंड शामिल हो सकते हैं, और ये दबाव राज्य से, या समुदाय में लोगों और समूहों से आ सकता है। यह कहकर कि कोई भी दबाव के अधीन नहीं होगा, अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार कानून न केवल लोगों पर दबाव लाने से राज्यों को रोकता है, बल्कि यह राज्यों को

प्रभावी रूप से लोगों की रक्षा करने का कर्तव्य भी देता है, जिस से समाज में दबाव को रोका और थामा जा सके।

दबाव से सुरक्षा के बारे में आप अधिक जानकारी हमारे वेबसाइट पर प्रशिक्षण सामग्री में देख सकते हैं, जिनमें वे सभी मानव अधिकार दस्तावेज़ शामिल हैं, जिनका ज़िक्र यहां किया गया है

Copyright: SMC 2018